# किशोरियों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ देने के कारण

सिन्थिया स्टीफेन

भारत के कई राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं कि बच्चे, विशेष रूप से लड़कियाँ, स्कूल जाएँ और जितने अधिक समय तक सम्भव हो वहाँ पढ़ना जारी रखें। कर्नाटक में, 70 से भी अधिक तालुकों में सामाजिक रूप से कमजोर हजारों लड़कियाँ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) आवासीय स्कूलों में अध्ययन करती हैं, 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करती हैं, और फिर नियमित स्कूलों में, या सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के आवासीय स्कूलों में स्थानान्तरण करती हैं। पर क्या यह पर्याप्त है? लड़कियों का बीच में स्कूल छोड़ देना क्यों जारी है?

हाल में किया गया शोध दर्शाता है कि कर्नाटक में 30 प्रतिशत से भी अधिक लड़कियों का 18 वर्ष की आयु के पहले विवाह कर दिया जाता है। यह तब हो रहा है जब सरकार तथा नागरिक समाज, दोनों के द्वारा अधिक उम्र में विवाह किए जाने को बढ़ावा देने, बाल विवाह के कारण व्यक्ति, परिवार तथा समाज को होने वाले भारी नुकसानों के प्रति जागरूकता निर्मित करने, बाल सुरक्षा व्यवस्थाओं को बाल सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करके, उन्हें प्रशिक्षित करके और संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाने तथा बाल विवाह को रोकने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को कानून तथा शक्तियाँ प्रदान की जा रही हैं।

हाल ही में बेंगलूरु शहर में वास्तविक जीवन–गाथा के एक उदाहरण का अध्ययन हमें एक बच्ची के जीवन, उसकी शिक्षा, उसकी स्कूली पढ़ाई, किशोरावस्था और प्रारम्भिक युवावस्था को प्रभावित करने वाली ताकतों को समझने में; तथा लिंग–जनित भेदभाव, यौनिकता, सुरक्षा और सामाजिक रीति–रिवाजों, प्रजनन की भूमिकाओं और घरेलू हिंसा के मुद्दों के प्रति सरकार तथा कानूनी व्यवस्था के दृष्टिकोणों को समझने में हमारी सहायता कर सकता है।

## वास्तविक उदाहरण का अध्ययन

तीन वर्ष पहले, 13 साल की गीता प्रोन्नति पाकर 8वीं कक्षा में पहुँची थी। उसे स्कूल बदलना पड़ा और झुग्गी–झोपड़ी बस्ती में अपने घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर के स्कूल में जाना पड़ा। वह दुबली–पतली और अपनी उम्र के लिहाज से बहुत लम्बी थी। उस पर एक 19 साल के लड़के की नजर पड़ गई थी जो पड़ोस में रहता था। राजू, जो अब 21 साल का है, 6 साल की उम्र में केवल एक वर्ष स्कूल गया था, परन्तु जब शिक्षक ने उससे गृहकार्य करवाने की ठानकर उसको शारीरिक दण्ड दिया तो वह स्कूल से भाग गया। वह कुछ सालों तक अपने घर के पास दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहा। जब वह लगभग 12 साल का था, तब वह पास के एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले अपने इलाके के कुछ आदमियों के साथ हो लिया। तो जब गीता अपनी खाने की डलिया और बस्ता लेकर स्कूल के लिए निकलती तब राजू उसका पीछा करता था और उससे बात करने की कोशिश करता था। हालाँकि गीता को डर लगता था कि इस माता–पिता यह देख लेंगे। पर मन ही मन उसे युवा लड़के द्वारा रोज उसकी राह देखे जाने का मजा भी आता था और जब वह अपने सहपाठियों से बात करती थी तो वह लड़का जलता भी था। जल्दी ही लोगों का इस पर ध्यान गया और लोगों ने लड़के के माता–पिता से बात की, "लगता है कि तुम्हारा लड़का गीता को पसन्द करता है। हमें वे स्कूल के पास बात करते हुए दिखाई देते हैं।" ये खबर जल्दी ही लड़की के माता–पिता तक पहुँच गई और उसके नतीजे में जाहिर है कि काफी तमाशा हुआ। गीता की खूब पिटाई हुई। पड़ोसी बीच–बचाव करने दौड़े। बाद में, गीता की माँ उसे स्कूल छोड़ने जाने लगी। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। वह घरेलू काम करने वाली बाई थी और उसे हर सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता था। कुछ बड़ी–बूढ़ी महिलाओं ने उसे सलाह दी, "उसे स्कूल क्यों भेजती हो, उसकी इस लड़के से शादी कर दो। वह वैसे भी अपनी

उम्र से काफी बड़ी दिखती है और लगता है कि यह लड़का वाकई में उसे चाहता है।" वैसे माँ के इरादे कुछ और थे। खुद उसकी शादी 13 साल की उम्र में कर दी गई थी। वह कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वह चाहती थी कि उसकी लड़की शिक्षिका बने। लेकिन पति के शराबी होने के कारण उसे परिवार का खर्चा चलाना पड़ता था, ऊपर से पति शराब पीने के लिए पैसे माँगता था, इसलिए नियमित रूप से काम पर जाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गीता का छोटा भाई अच्छे से पढ़ता था और नियम से स्कूल जाता था। उसकी माँ एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी।

बात खुल जाने से हिम्मत बढ़ जाने के कारण, राजू फिर गीता के साथ रोज स्कूल जाने और आने लगा। जब सत्र का अवकाश आया तो वे रोज नहीं मिल सकते थे। उसने लड़की को सुझाया कि वे भाग जाएँ। अब तक गीता पूरी तरह उसके बहकावे में आ चुकी थी, सो वह राजी हो गई। उसने एक बैग में चोरी से अपने कपड़े भर कर रखे। वह बैग उसकी माँ के हाथ लग गया। फिर क्या था, आसमान टूट पड़ा। गीता के पिता के हाथों दोनों इस बुरी तरह पिटे कि उनको नील पड़ गए। स्थानीय लोगों की राय थी कि चूँकि "लड़की का नाम खराब हो चुका था", और दोनों का प्रेम–प्रसंग सबको मालूम था, इसलिए क्यों न इन दोनों की शादी कर दी जाए? आखिरकार, यह उनके भाग जाने की बदनामी से तो बेहतर ही होगा। इसलिए जल्दी ही एक सादे आयोजन में गीता की राजू से शादी कर दी गई। तब वह लगभग साढ़े 13 साल की थी। कुछ सप्ताह में, वह गर्भवती हो गई और समय आने पर बहुत जोखिम वाली प्रसव प्रक्रिया के बाद उसने एक बड़े सरकारी अस्पताल में एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, जिसकी सारे परिवार में बहुत खुशी मनाई गई।

राजू को बीच–बीच में भवन निर्माण कार्य में मजदूर की तरह काम मिल जाता था। जब बच्चा बड़ा होने लगा, तो माँ होने की परेशानियों के कारण गीता चिड़चिड़ी हो गई। उसे जरा–जरा में रोना आने लगा। वह घर पर कोई घरेलू काम नहीं कर पाती थी और बच्चे को दूध पिलाने और उसकी देखभाल करने में थक जाती थी। हालाँकि उसकी माँ जितना उससे बनता था मदद करती थी, पर वह स्थिति को बिगड़ने से नहीं बचा सकी। तनाव बढ़ते गए। बच्चे के पहले जन्मदिन पर उसकी माँ अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी। उसके पति से सम्बन्ध खराब होने लगे और राजू उसको मारने–पीटने लगा। आज के नए जमाने के उलट–फेर में, लड़की भी बराबरी से पिटने का जवाब पीटने से देने लगी।

लड़की की माँ ने मुझे बताया, "मैं अपनी लड़की से बात नहीं कर रही हूँ, उसे अपने पति से बदतमीजी करने की सजा दिए जाने की जरूरत है। वह उसे गालियाँ देती है और यहाँ तक कि जब वह उसे पीटता है तो वह भी उसे पलटकर मारती है!"

मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आज के दौर में किशोर–किशोरियों के सामने कई विपरीत प्रकार की नकल करने वाली छवियाँ होती हैं। गीता की परिस्थिति उसके सम्भालने के वश के बाहर हो गई थी। मैंने उसकी माँ को प्रोत्साहित किया कि वह उसकी ससुराल के लोगों से बात करे कि वे उसे के.जी.बी.वी. में भर्ती होने की इजाजत दे दें। या फिर कम से कम महिला शिक्षण केन्द्र (एम.एस.के.) में शामिल हो जाने दें जिसके पास स्कूली पढाई की व्यवस्था के अलावा अनौपचारिक आवासीय सुविधाएँ भी हैं; यह संस्था जोखिम भरी स्थितियों का सामना कर रही औरतों और लड़कियों के लिए महिला समाख्या कर्नाटक द्वारा संचालित की जाती है। इस सुझाव से माँ अचम्भित दिखाई दे रही थी। वह बोली "लेकिन अब वह शादी–शुदा है। वह घर छोड़ कर स्कूल कैसे जा सकती है?" और यह कहकर उसने इस विचार को खारिज कर दिया। कई महीने गुजर गए। शंकालु राजू ने अपना मालिकाना हक जतलाना जारी रखा। उसकी जिद थी कि गीता घर पर ही रहे, तब भी जब उनके घर में खाने को कुछ नहीं था क्योंकि राजू कई दिनों से काम पर नहीं गया था। एक और विकट लड़ाई के बाद, जिसमें पुलिस को दखल देना पड़ा हालाँकि उन्होंने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, परिवार इसके लिए सहमत हो गया कि गीता को रोज पैसा दिया जाएगा ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और दाना–पानी चलता रहे। कहने की जरूरत नहीं कि यह इंतजाम जल्दी ही टूट गया क्योंकि लड़के के परिवार ने आरोप लगाया कि गीता बहुत खर्चा करती थी।

अन्त में गीता घरेलू काम करने के लिए जाने लगी। वह अपने छोटे बच्चे को साथ ले जाती थी। पर कई बार उसकी माँ को जाकर बच्चे को लाना पड़ता था जो अकसर 'अड़चन' बन जाता था क्योंकि जब उसकी माँ काम कर रही होती थी तब वह उसका ध्यान पाना चाहता

था। इस तरह चीजें चलती रहीं, पर फिर एक दिन उसकी माँ ने आकर अचानक मुझसे पूछा, "अक्का, क्या तुम कृपा करके गीता को उस स्कूल में भेज सकती हो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? वह वापिस अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती, और उसका पति भी कहता है कि वह उसे बुलाना नहीं चाहता। इसलिए मैं उसे दूर भेजना चाहती हूँ ताकि वह फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सके।"

कुछ समय बाद ही वे दोनों आईं। गीता को पास के नगर में महिला समाख्या की एक संस्था में पढ़ने के लिए भेज दिया गया तथा उसका बेटा अपनी 32 साल की नानी की देखरेख में रहने लगा। गीता साफ कहती है कि वह राजू के शारीरिक और शाब्दिक दुर्व्यवहार, शक करने और मनोवैज्ञानिक हिंसा से तंग आ चुकी है। हालाँकि वह उसे खोज रहा है और गीता को फिर से उसके पास लौटाए जाने की माँग कर रहा है। यदि वह आक्रामक तरीके से उसके पीछे पड़ने का फैसला करता है तो परिस्थिति विस्फोटक हो सकती है, खासतौर से यह देखते हुए कि वह बच्ची अभी भी पास के नगर में ही है।

## गीता की निर्बाध स्कूली पढ़ाई के खिलाफ कौन से मुद्दे प्रभावी रहे?

यह स्पष्ट है कि कई ढाँचागत सामाजिक कारकों ने इसमें भूमिका निभाई। पहले तो, स्कूल की भौगोलिक स्थिति को ही लें। घर के निकट हाईस्कूल के न होने के कारण उसे रोज पैदल दूर के स्कूल में जाना पड़ता था जिससे रास्ते में लड़कों द्वारा उसका पीछा किए जाने का भरपूर मौका मौजूद रहता था। यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से परिवार अपनी लड़कियों को तरुणाई शुरू होने के बाद स्कूल भेजना बन्द कर देते हैं।

दूसरा कारक सामाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो शैशव के समय से ही लड़कियों को, किसी पेशेवर कार्यक्षेत्र के लिए या उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के बजाय, शादी के लिए तैयार करती है। माता–पिता के ऊपर लड़की की शादी कर देने का सामाजिक दबाव, शादी के समय लड़की का कौमार्य सुरक्षित रहने को अत्यधिक महत्त्व दिया जाना, और उसके इलाके में यौनिक शोषण से लड़की की सुरक्षा का अभाव, ये सब भी लड़कियों के स्कूल छोड़ देने और उनकी जल्दी शादी कर दिए जाने के अन्य बड़े कारण हैं। गरीब, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक परिवारों की लड़कियों को इसका ज्यादा जोखिम रहता है क्योंकि उन्हें सताने वालों को पुलिस की ओर से किसी कार्यवाही का डर नहीं रहता। इन वर्गों के लोगों द्वारा शिकायतें किए जाने पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। इस परिस्थिति में कोई और विकल्प न होने की वजह से ऐसे परिवार अपनी लड़कियों को घर पर रखते हैं और उन्हें घरेलू कामकाज के लिए तैयार करते हैं।

युवा पुरुषों को लगता है कि यदि कोई लड़की, खासतौर से ज्यादा गरीब तबकों की लड़की, उन्हें अच्छी लगती है, तो आक्रामक ढंग से उसके पीछे पड़ना उनका विशेषाधिकार है। युवकों के ऐसे आचरण पर कमजोर नियंत्रण रखने के द्वारा उनके परिवार ऐसे व्यवहार को मौन समर्थन देते हैं, और इसको जल्दी शादी करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, भले ही लड़का–लड़की नाबालिग हों। इस रवैए को लोकप्रिय कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों से शह मिलती है जिनमें उनके 'नायकों' को ऐसे युवा/किशोर लड़कों की तरह चित्रित किया जाता है जो स्कूल/कालेज आती–जाती लड़कियों से जबरन 'प्रेम जताते' हैं, और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अकसर जोर–जबर्दस्ती या भयादोहन (ब्लैकमेल) का सफलता पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। अकसर, इन पुरुषों को या तो कम पढ़े–लिखे लोगों की तरह या कामगार वर्ग का होने के रूप में दिखाया जाता है, जो ऐसी कहानियों को उनके लक्ष्य पुरुष दर्शकों की वास्तविक जिन्दगी के अनुभवों के नजदीक ले आता है। समाज के मौजूदा मानकों और प्रचलनों के चलते, इन पुरुष दर्शकों की अपने से ऊपर के दर्जे दृ चाहे वह बेहतर शैक्षणिक उपलब्धियों के रूप में ही हो – की किसी लड़की पर डोरे डालने और उसे हासिल कर लेने की कल्पनाएँ उनके वास्तविक जीवन के अनुभव बन जाती हैं।

इस मामले में तो 'पुरुष' भी शादी के समय मुश्किल से 20 साल का ही था। बाल विवाह पर रोक लगाने के कानून तथा उसके खिलाफ टीवी पर, स्कूलों में और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद, यह चलन लगभग बेरोकटोक जारी है, विशेष रूप से उत्तर कर्नाटक में, जहाँ इसे समाज का मजबूत अनुमोदन और समर्थन प्राप्त है। इस प्रथा के खिलाफ कमजोर प्रचार–प्रसार और राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में इस कानून को बेअसर तरीके से लागू किए जाने को देखते

हुए, सरकार को उसकी जिम्मेदारी से बरी नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात की बहुत कम जानकारी है कि जल्दी शादी करना कानूनन अवैध है और इसे करवाने वालों को दण्ड दिया जा सकता है। अधिकारी अकसर इस डर से कोई कार्यवाही नहीं करते कि उससे समुदाय में आक्रोश पूर्ण प्रतिक्रिया होगी या फिर इसलिए कि वे स्वयं बाल विवाहों को रोकने में यकीन नहीं रखते।

इस प्रकार गरीबी, लिंगजनित भेदभाव, लागू न किए जाने वाले कानूनी ढाँचे, समुदाय के मानक जिनमें (लिंग भेदभाव से पैदा हुआ) मर्दाना व्यवहार भी शामिल है, असुरक्षित आमदनियाँ, और सबसे ज्यादा, यह व्यापक रूप से प्रचलित धारणा कि लड़कियों/औरतों के लिए घर का दायरा ही उनकी अपरिहार्य और अनिवार्य नियति है, ये सब मिलकर इस प्रथा को चलाए रखते हैं, जबकि इस धारणा को बदलने की दिशा में होने वाली प्रगति बहुत धीमी है।

.यदि परिवार के बहुत सीमित संसाधनों का बच्ची की शिक्षा के लिए उपयोग किया भी जाता है, तो भी इस बात की गारण्टी नहीं होती कि उपयुक्त शिक्षा के परिणामस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अच्छी और उचित नौकरी मिल जाएगी। यहाँ तक कि गरीबों में स्नातक की उपाधि पाए हुए पुरुष भी भवन निर्माण या परिवहन क्षेत्रों में अस्थायी शारीरिक मजदूरों की तरह काम करते हुए देखे जाते हैं। महिलाएँ सेवा के क्षेत्र में निम्न स्तर की नौकरियाँ करती हुई पाई जाती है। इसका एक प्रमुख कारण वंचित पृष्ठभूमियों से आए लोगों को सफेद–कालर वाली (दफ्तरी) नौकरियाँ देने के प्रति रोजगार देने वालों का नकारात्मक रुख होता है, जबकि घूस और भ्रष्टाचार का व्यापक चलन उनके लिए सरकारी नौकरियाँ हासिल कर पाना असम्भव बना देता है। इसलिए उपरोक्त वर्गों के परिवार आमतौर पर शिक्षा पर, विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर, और खासतौर से लड़कियों की शिक्षा पर, धन खर्च करने में हिचकिचाते हैं।

हम सब जानते हैं कि लड़कियों को शिक्षित बनाने से – कम उम्र में लड़कियों को गर्भवती होने से बचाने के फलस्वरूप उससे जुड़ी स्वास्थ्य की समस्याओं और जिन्दगी के जोखिम को टालने, उनकी साक्षरता और नागरिकता के अधिकारों की रक्षा, उनकी भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के लिए अवसर मिलने और, सबसे महत्त्वपूर्ण, शिक्षा और जानकारी पर आधारित भागीदारी के माध्यम से बदलते हुए सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश में अपना रास्ता बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलों को हासिल करने, इन सभी दृष्टियों से – समाज के स्तर पर बहुत सामाजिक–आर्थिक लाभ होता है। इस सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में संस्थाएँ तथा परिवार वास्तविकता को बदलने के लिए और क्या कर सकते हैं? जो सरकारें और परिवार बच्चों, और खास तौर पर बच्चियों, की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, वे भविष्य में निवेश कर रहे हैं। फिर ये उपलब्धियाँ हासिल करना इतना कठिन क्यों है? भारतीय समाज में गहरे तक पैठे पितृसत्तात्मक मूल्य और स्त्रियों के प्रति हिकारत का बढ़ता प्रभाव – जिसके साथ नव–उदारीकरण की नीतियाँ जुड़ गई हैं, जिनके कारण संचार माध्यमों का प्रभाव सब दूर दिखाई देता है – आचरण की पारम्परिक प्रवृत्तियों का टूट जाना, और राज्य का सामाजिक क्षेत्र से हट जाना, ये सभी इस समस्या के हिस्से हैं। शिक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना, बाल विवाह रोकने के लिए कम उम्र की लड़कियों के हित में बनाए गए सुरक्षा अधिनियमों को ज्यादा सख्ती से लागू किया जाना तथा लिंगजनित भेदभाव वाले पारिवारिक मानकों के प्रति और अधिक सार्वजनिक चेतना जगाना, ये उपाय ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

---

**सिन्थिया स्टीफेन** एक सक्रिय रूप से भाग लेने वाली शोधकर्ता हैं जो लिंगभेद, गरीबी, समावेश तथा विकास नीति के मुद्दों पर काम कर रही हैं। वे इन मामलों में राज्य, क्षेत्र तथा राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व तथा परामर्शदाता की भूमिकाओं में संलग्न रही हैं। उन्होंने इन विषयों पर विस्तार से लेखन भी किया है। उनसे cynstepin@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
**अनुवाद** : सत्येन्द्र त्रिपाठी